

राज्य परियोजना लाईवलीहुड कॉलेज सोसायटी
शासी परिषद् की कार्यकारिणी समिति की प्रथम बैठक की कार्यसूची (संशोधित)

- 3/1 - राज्य परियोजना लाईवलीहुड कॉलेज के शासी परिषद् के कार्यकारिणी समिति की बैठक दिनांक 10 जनवरी, 2014 के निर्णयों के कार्यान्वयन का प्रतिवेदन
- 3/2 - राज्य परियोजना एवं जिला परियोजना लाईवलीहुड कॉलेज के लिए मानव संसाधन योजना के अनुसार स्वीकृत पदों पर शैक्षणिक योग्यताएं, अनुभव और अन्य अपेक्षाओं तथा चयन प्रक्रिया (रिक्रूटमेंट रूल्स) का निर्धारण
- 3/3 - जिलों में अवस्थित लाईवलीहुड कॉलेज का पर्यवेक्षण एवं संचालन एक निगमित निकाय के द्वारा किये जाने का प्रस्ताव
- 3/4 - राज्य परियोजना लाईवलीहुड कॉलेज सोसायटी का वित्तीय वर्ष 2014-15 के लिए वार्षिक वित्तीय विवरण पर चर्चा एवं अनुमोदन
- 3/5 - राज्य परियोजना लाईवलीहुड कॉलेज सोसायटी के निधि के संधारण एवं संचालन का प्रस्ताव
- नवीन प्रस्ताव 3/क - राज्य परियोजना लाईवलीहुड कॉलेज सोसायटी के क्रय एवं तकनीकी समिति के गठन का प्रस्ताव
- नवीन प्रस्ताव 3/ख - लाईवलीहुड कॉलेजों में मांग आधारित गुणवत्तापूर्ण प्रशिक्षण प्रदान करने के लिये रोजगार देने की प्रतिबद्धता एवं प्रमाणित ट्रैक रिकार्ड रखने वाले राष्ट्रीय स्तर के ट्रेनिंग पार्टनर्स का चयन तथा पाठ्यक्रम अनुसार प्रशिक्षकों की योग्यता का निर्धारण

राज्य परियोजना लाईवलीहुड कॉलेज सोसायटी

शासी परिषद् की कार्यकारिणी समिति की प्रथम बैठक

कार्यसूची मद 3/1 - राज्य परियोजना लाईवलीहुड कॉलेज के शासी परिषद् की कार्यकारिणी समिति की बैठक दिनांक 10 जनवरी, 2014 के निर्णयों के कार्यान्वयन का प्रतिवेदन

3/1.1 निर्णय 11.1 : “राज्य परियोजना लाईवलीहुड कॉलेज को सोसायटी के रूप में गठित करने के प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया है। साथ ही मुख्य कार्यपालन अधिकारी, राज्य परियोजना लाईवलीहुड कॉलेज को निर्देश दिए गए कि यथोचित विशेषज्ञ/विशेषज्ञों (कंपनी सेक्रेटरी, चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट एवं विधि विशेषज्ञ) से प्रस्तावित सोसायटी के मेमोरेण्डम ऑफ़ एसोसिएशन एवं आर्टिकल्स ऑफ़ एसोसिएशन के प्रारूपों का इस दृष्टि से परीक्षण व परिमार्जन करा लें ताकि भविष्य में सोसायटी बनने के पश्चात् भी आय कर अधिनियम एवं सेवा कर अधिनियम के अंतर्गत कराधान से छूट प्राप्त करना संभव हो सके।”

कार्यान्वयन संबंधी टीप : सोसायटी के मेमोरेण्डम ऑफ़ एसोसिएशन एवं आर्टिकल्स ऑफ़ एसोसिएशन के प्रारूपों का संबंधित विशेषज्ञ से आय कर अधिनियम एवं सेवा कर अधिनियम के अंतर्गत कराधान से छूट प्राप्त करने हेतु परीक्षण कराया गया। जिसके अनुसार राज्य परियोजना लाईवलीहुड कॉलेज सोसायटी को आयकर अधिनियम 1961 की धारा 12ए के तहत छूट प्राप्त करने की पात्रता है। तदोपरांत राज्य परियोजना लाईवलीहुड कॉलेज को छत्तीसगढ़ सोसायटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1973 (क्रमांक 44 सन् 1973) के अधीन 14.7.2014 को सोसायटी के रूप में पंजीकृत की गई। जिसका पंजीयन क्रमांक- छ0ग0 राज्य - 4808 है ([अनुलग्नक-एस.पी.एल.सी.1](#))।

3/1.2 निर्णय 12.1 : “अतिरिक्त कार्यसूची मद 1 में प्रदत्त अनुमोदन अनुसार आई.टी.आई एवं पॉलिटैक्निक कालेजों में सह-स्थापित लाईवलीहुड कालेज के संचालन के लिए प्राचार्यों एवं अन्य अतिरिक्त कार्यभार संपादित करने वाले कर्मियों को मानदेय दिया जाए।”

कार्यवाही संबंधी टीप : संबंधित आदेश जारी किया गया।

3/1.3 निर्णय 13.1 : “लाईवलीहुड कॉलेज में छात्रावासी प्रशिक्षणार्थियों को छात्रवृत्ति आई.टी.आई. में प्रशिक्षणार्थियों के लिए प्रचलित छात्रवृत्ति दर (वर्तमान में रु. 300/- प्रति माह प्रति प्रशिक्षणार्थी) के समान, तथा इसके अतिरिक्त रु. 2000/- प्रति प्रशिक्षणार्थी एकमुश्त अस्थाई रहवासी व्यवस्था भत्ता दिया जाए, तथा प्रस्तावित छात्रवृत्ति एवं भत्ते के प्रस्ताव को वित्त विभाग की सहमति हेतु जनशक्ति नियोजन विभाग के माध्यम से भेजा जाए।”

कार्यवाही संबंधी टीप : वित्त विभाग द्वारा प्रस्ताव पर सहमति प्रदान की गई है। दिनांक 31.7.2014 को तत्संबंधी विभागीय आदेश जारी किया गया([अनुलग्नक-एस.पी.एल.सी.2](#))।

राज्य परियोजना लाईवलीहुड कॉलेज सोसायटी

शासी परिषद् की कार्यकारिणी समिति की प्रथम बैठक

कार्यसूची मद 3/2 - राज्य परियोजना एवं जिला परियोजना लाईवलीहुड कॉलेज के लिए मानव संसाधन योजना के अनुसार स्वीकृत पदों पर शैक्षणिक योग्यताएं, अनुभव और अन्य अपेक्षाओं तथा चयन प्रक्रिया (रिक्रूटमेंट रूल्स) का निर्धारण

विवरण एवं प्रस्ताव

3/2.1 : शासी परिषद् की दूसरी बैठक में राज्य परियोजना लाईवलीहुड कॉलेज की मानव संसाधन योजना (स्थापना, प्रक्रियाएँ और नियमों की रूपरेखा) का अनुमोदन प्रदान किया गया है ([अनुलग्नक-एस.पी.एल.सी.3](#))। जिसके पैरा-7 अनुसार संबंधित पदों के लिए शैक्षणिक योग्यताएं, अनुभव एवं अन्य अपेक्षाएं आदि शासी परिषद् की कार्यकारिणी समिति के अनुमोदन से निर्धारित की जायेगी। राज्य परियोजना लाईवलीहुड कॉलेज सोसायटी के लिये स्वीकृत मानव संसाधन योजना के अनुसार स्वीकृत पदों पर भरती हेतु प्रस्तावित रिक्रूटमेंट रूल्स एवं चयन प्रक्रिया (संलग्नक 'क') में कार्यकारिणी समिति के अनुमोदन हेतु प्रस्तावित की गई है। इसमें स्वीकृत पदों हेतु निर्धारित अर्हतायें, अनुभव एवं अन्य अपेक्षायें, आवेदकों की आयु सीमा संबंधी मापदण्ड, स्क्रूटनी समिति, परीक्षा एजेंसी, साक्षात्कार समिति का निर्धारण, अनुमोदन कर्ता प्राधिकारी आदि सम्मिलित है।

3/2.2 : राज्य परियोजना लाईवलीहुड कॉलेज सोसायटी एवं जिला परियोजना लाईवलीहुड कॉलेज के कर्मियों के मध्य एग्रीमेंट, इंडेमनिटी बॉण्ड संपादित किया जायेगा। यह एग्रीमेंट एवं इंडेमनिटी बॉण्ड चिप्स द्वारा अपने कर्मियों के लिए जारी किये गये प्रारूप के समानांतर यथायोग्य परिवर्तनों के साथ मान्य किया जाना प्रस्तावित है। प्रस्ताव कार्यकारिणी के अनुमोदन हेतु प्रस्तुत है।

अपेक्षित निर्णय

कार्यसूची मद 3/2 में प्रस्तुत प्रस्ताव विचारोपरांत कार्यकारिणी समिति के अनुमोदन के लिए अपेक्षित है।

राज्य परियोजना लाईवलीहुड कॉलेज सोसायटी
शासी परिषद् की कार्यकारिणी समिति की प्रथम बैठक

कार्यसूची मद 3/3 - जिलों में अवस्थित लाईवलीहुड कॉलेज का पर्यवेक्षण एवं संचालन
एक निगमित निकाय के द्वारा किये जाने का प्रस्ताव

विवरण एवं प्रस्ताव -

3/3.1 : राज्य परियोजना लाईवलीहुड कॉलेज का पर्यवेक्षण एवं संचालन छत्तीसगढ़ सोसायटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1973 (क्रमांक 44 सन् 1973) के अधीन पंजीकृत निगमित निकाय के रूप में किया जा रहा है।

3/3.2 : जिलों में अवस्थित लाईवलीहुड कॉलेज का पर्यवेक्षण एवं संचालन छत्तीसगढ़ सोसायटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1973 (क्रमांक 44 सन् 1973) के अधीन पंजीकृत निगमित निकाय के रूप में किया जाना प्रस्तावित है।

3/3.3 : जिला कौशल विकास प्राधिकरण की बैठकों में स्थायी तौर पर विशेष आमंत्रित के रूप में प्राचार्य, लाईवलीहुड कॉलेज एवं सहायक परियोजना अधिकारी को आमंत्रित किया जाना प्रस्तावित है।

अपेक्षित निर्णय

कार्यसूची मद 3/3 में प्रस्तुत प्रस्ताव कार्यकारिणी समिति के विचारोपरांत अनुमोदन के लिए तथा शासी परिषद् को अनुशंसित किये जाने हेतु अपेक्षित है।

राज्य परियोजना लाईवलीहुड कॉलेज सोसायटी
शासी परिषद् की कार्यकारिणी समिति की प्रथम बैठक

कार्यसूची मद 3/4 - राज्य परियोजना लाईवलीहुड कॉलेज सोसायटी का वित्तीय वर्ष 2014-15 के लिए वार्षिक वित्तीय विवरण पर चर्चा एवं अनुमोदन

विवरण एवं प्रस्ताव -

3/4.1 : वित्तीय वर्ष 2014-15 में योजना क्रमांक 8935 - लाईवलीहुड कॉलेज परियोजना हेतु कुल राशि रू. 6900 लाख का विभिन्न मदों में बजट प्रावधान किया गया है ([अनुलग्नक-एस.पी.एल.सी.5](#))। राज्य परियोजना लाईवलीहुड कॉलेज के लिए वित्तीय वर्ष 2014-15 में प्रथम अनुपूरक में सहायक अनुदान के रूप में बजट में 100 का प्रतीक प्रावधान स्वीकृत किया गया है।

3/4.2 : राज्य परियोजना लाईवलीहुड कॉलेज सोसायटी के लिए वित्तीय वर्ष 2014-15 में राज्य कार्यालय, सभी जिला कार्यालयों की स्थापना तथा सभी जिलों में लाईवलीहुड कॉलेज के भवन निर्माण तथा प्रशिक्षण संपादन हेतु आवश्यक व्यवस्थाओं की पूर्ति के लिये कुल राशि रू.6900 लाख का वार्षिक वित्तीय विवरण, जिसमें वार्षिक वित्तीय प्राक्कलन शामिल है, कार्यकारिणी समिति के विचारार्थ प्रस्तुत है([अनुलग्नक-एस.पी.एल.सी.6](#))।

अपेक्षित निर्णय

कार्यसूची मद 3/4 में प्रस्तुत प्रस्ताव कार्यकारिणी समिति के विचार उपरांत अनुमोदन करने तथा शासी परिषद् को अनुशंसित करने के लिए अपेक्षित है।

राज्य परियोजना लाईवलीहुड कॉलेज सोसायटी
शासी परिषद् की कार्यकारिणी समिति की प्रथम बैठक

**कार्यसूची मद 3/5 - राज्य परियोजना लाईवलीहुड कॉलेज सोसायटी के निधि के
संधारण एवं संचालन का प्रस्ताव**

विवरण एवं प्रस्ताव -

3/5.1 : राज्य परियोजना लाईवलीहुड कॉलेज सोसायटी के निधि का संचालन एवं संधारण सोसायटी के आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन की कंडिका XI, XVI, एवं XVII के प्रावधान अनुसार किया जाना है। निम्नानुसार प्रस्ताव कार्यकारिणी समिति के विचारार्थ प्रस्तुत है।

3/5.2 : सोसायटी के आर्टिकल्स ऑफ एसोसियेशन की कंडिका XVII अनुसार राज्य परियोजना लाईवलीहुड कॉलेज सोसायटी के लिये भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934(क्रमांक 2 सन् 1934) की दूसरी अनुसूची में सम्मिलित किसी भी बैंक में खाता खोलने तथा 2 व्यक्ति द्वारा संयुक्त हस्ताक्षर से खाते का संधारण एवं संचालन करने हेतु कार्यकारिणी समिति के द्वारा अधिकृत किया जाना है। इसके लिए राज्य परियोजना लाईवलीहुड कॉलेज सोसायटी के मुख्य कार्यपालन अधिकारी एवं संयुक्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी (वित्त) को प्राधिकृत किया जाना प्रस्तावित है।

3/5.3 : राज्य परियोजना लाईवलीहुड कॉलेज सोसायटी के अंतर्गत जिला परियोजना लाईवलीहुड कॉलेज संचालित होगी। अतः सभी जिलों में जिला राज्य परियोजना लाईवलीहुड कॉलेज हेतु सोसायटी के आर्टिकल्स ऑफ एसोसियेशन की कंडिका XVII के अनुसार ही विनिर्दिष्ट बैंक में खाता खोलने तथा मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत-सह-पदेन निदेशक जिला परियोजना लाईवलीहुड कॉलेज (9 नये जिले में जहां मुख्य कार्यपालन अधिकारी पदस्थ नहीं हैं परियोजना निदेशक जिला ग्रामीण विकास अभिकरण) एवं प्राचार्य या सहायक परियोजना अधिकारी (लाईवलीहुड कॉलेज में पदों पर भर्ती होने तक प्रभारी अधिकारी) के संयुक्त हस्ताक्षर से खाते का संधारण एवं संचालन करने के लिये प्राधिकृत किया जाना प्रस्तावित है।

3/5.4 : सोसायटी के आर्टिकल्स ऑफ एसोसियेशन की कंडिका XVII के प्रावधान के अनुसार मुख्य कार्यपालन अधिकारी, राज्य परियोजना लाईवलीहुड कॉलेज सोसायटी को अधिकतम् राशि रू. 25,000 की सीमा तक नगद में अग्रदाय खाते का संधारण करने के लिये प्राधिकृत किया जाना प्रस्तावित है। जिसका संधारण एवं संचालन राज्य सरकार में अग्रदाय खाते को संचालित करने के उपबंधों के अनुरूप किया जाना प्रस्तावित है।

3/5.5 : किसी मद में कुल व्यय की राशि रू. 200 लाख तक स्वीकृत करने के लिये मुख्य कार्यपालन अधिकारी, राज्य परियोजना लाईवलीहुड कॉलेज सोसायटी को तथा किसी मद में कुल व्यय की राशि रू. 200 लाख से अधिक होने पर स्वीकृत करने के लिये शासी परिषद् की कार्यकारिणी समिति को सक्षम प्राधिकारी के रूप में प्राधिकृत करना प्रस्तावित है।

3/5.6 : कलेक्टर-सह-अध्यक्ष, जिला परियोजना लाईवलीहुड कॉलेज को अधिकतम् राशि रू. 20,000 की सीमा तक नगद में अग्रदाय खाते का संधारण करने के लिये प्राधिकृत किये जाने तथा इसका संधारण एवं संचालन राज्य सरकार में अग्रदाय खाते को संचालित करने के उपबंधों के अनुरूप किया जाना प्रस्तावित है।

3/5.7 : किसी मद में कुल व्यय की राशि रू. 2 लाख तक स्वीकृत करने के लिये कलेक्टर-सह-अध्यक्ष जिला परियोजना लाईवलीहुड कॉलेज को सक्षम प्राधिकारी के रूप में प्राधिकृत करना प्रस्तावित है, परंतु यह कि जहां किसी कारण उपगत किया जाने वाला कुल व्यय रू. 10 लाख से अधिक है वहां मुख्य कार्यपालन अधिकारी, राज्य परियोजना लाईवलीहुड कॉलेज सोसायटी का अनुमोदन आवश्यक किया जाना प्रस्तावित है।

अपेक्षित निर्णय

कार्यसूची मद 3/5 में प्रस्तुत प्रस्ताव कार्यकारिणी समिति के विचार उपरांत अनुमोदन के लिये एवं शासी परिषद् को अनुशंसित किये जाने के लिये अपेक्षित है।

राज्य परियोजना लाईवलीहुड कॉलेज सोसायटी
शासी परिषद् की कार्यकारिणी समिति की प्रथम बैठक

नवीन प्रस्ताव 3/क - राज्य परियोजना लाईवलीहुड कॉलेज सोसायटी के क्रय एवं तकनीकी समिति के गठन का प्रस्ताव

विवरण एवं प्रस्ताव -

3/क/1 : वित्तीय वर्ष 2014-15 में योजना आयोग से अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता राशि रू. 196.65 करोड़ स्वीकृत की गई है, जिसके 30 प्रतिशत केन्द्रांश की राशि रू. 59 करोड़ राज्य को प्राप्त हो चुकी है। बजट में सभी 27 जिलों में लाईवलीहुड कॉलेज के भवन निर्माण के लिए राशि रू. 48 करोड़ तथा राशि रू. 16 करोड़ मशीन उपकरण मद में प्रावधानित किया गया है। जिसका उपयोग इस वित्तीय वर्ष में किया जाना है।

3/क/2 : छत्तीसगढ़ शासन के भंडार-क्रय नियमों के अनुसार क्रय की कार्यवाही की जायेगी। क्रय समिति गठित किया जाना प्रस्तावित है। क्रय समिति में अतिरिक्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी को अध्यक्ष, संयुक्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी (वित्त), मुख्य कार्यपालन अधिकारी द्वारा नामित 1 उप मुख्य कार्यपालन अधिकारी को सदस्य के रूप में सम्मिलित किया जाना प्रस्तावित है। मुख्य कार्यपालन अधिकारी द्वारा आवश्यकतानुसार अन्य अधिकारी तथा राज्य शासन के अन्य विभागों/एजेंसियों के अधिकारियों को संबंधित विभाग/एजेंसी की सहमति से समिति में सम्मिलित किया जाना प्रस्तावित है।

3/क/3 : क्रय हेतु स्पेसिफिकेशन तैयार करने तथा सामग्रियों की गुणवत्ता का निरीक्षण एवं मूल्यांकन करने हेतु तकनीकी समिति गठित किया जाना प्रस्तावित है। इस समिति में क्रय समिति के सदस्यों के साथ-साथ विषय विशेषज्ञों को सदस्य के रूप में सम्मिलित किया जाना प्रस्तावित है।

अपेक्षित निर्णय

नवीन प्रस्ताव 3/क कार्यकारिणी समिति के विचार उपरांत अनुमोदन के लिये अपेक्षित है।

राज्य परियोजना लाईवलीहुड कॉलेज सोसायटी

शासी परिषद् की कार्यकारिणी समिति की प्रथम बैठक

नवीन प्रस्ताव 3/ख - लाईवलीहुड कॉलेजों में मांग आधारित गुणवत्तापूर्ण प्रशिक्षण प्रदान करने के लिये रोजगार देने की प्रतिबद्धता एवं प्रमाणित ट्रेक रिकार्ड रखने वाले राष्ट्रीय स्तर के ट्रेनिंग पार्टनर्स का चयन तथा पाठ्यक्रम अनुसार प्रशिक्षकों की योग्यता का निर्धारण

विवरण एवं प्रस्ताव -

3/ख/1 : लाईवलीहुड कॉलेजों में उद्योगों एवं प्रचलित बाजार की मांग के आधार पर वांछित कौशल रखने वाले मानव संसाधन तैयार किये जाने के उद्देश्य से रोजगार की प्रतिबद्धता एवं प्रमाणित ट्रेक रिकार्ड रखने वाले राष्ट्रीय स्तर के संस्थानों, प्रतिष्ठानों एवं उद्योगों को ट्रेनिंग पार्टनर के जरिए किया जाना प्रस्तावित है इस हेतु ट्रेनिंग पार्टनर चयन हेतु मापदंड एवं एम. ओ.यू. की शर्तों तथा पाठ्यक्रम अनुसार प्रशिक्षकों की योग्यता का निर्धारण किया जाना होगा।

3/ख/2 : सेक्टरवार ट्रेनिंग पार्टनर्स का चयन विज्ञापन के माध्यम से रूचि की अभिव्यक्ति आमंत्रित कर किया जायेगा। ट्रेनिंग पार्टनर्स चयन के लिये एक सर्च-कम-सिलेक्शन कमेटी का गठन किया जाना प्रस्तावित है। उक्त समिति राष्ट्रीय स्तर पर कौशल विकास के संबंधित सेक्टर में प्रतिष्ठित 2 व्यक्ति (जो संबंधित सेक्टर स्किल काउंसिल के सदस्य होंगे, भारतीय प्रबंधन संस्थान, रायपुर के द्वारा नामांकित एक फैकल्टी सदस्य, सेक्टर से जुड़े हुए विभागों/संस्थाओं से एक व्यक्ति अध्यक्ष के रूप में, तथा आवश्यकतानुसार मुख्य कार्यपालन अधिकारी, राज्य परियोजना लाईवलीहुड कॉलेज सोसायटी द्वारा नामित सेक्टर विशेषज्ञों से गठित होगी।

ट्रेनिंग पार्टनर्स के चयन हेतु प्रस्तावित सेक्टरों एवं सेक्टरवार सर्च एवं सिलेक्शन कमेटी के अध्यक्ष निम्नानुसार प्रस्तावित हैं-

1. इंफॉर्मेशन एण्ड कम्प्यूनिकेशन टेक्नॉलॉजी/शॉप असिस्टेंट्स एवं एकाउंटेंट - उपाध्यक्ष, चिप्स
2. टेलीकॉम - श्री वी. के. छबलानी, आईटीएस

3. रिटेल - विशेष सचिव, उद्योग विभाग
4. आटोमोटिव रिपेयर - संचालक, रोजगार एवं प्रशिक्षण
5. कंस्ट्रक्शन एवं पेंटिंग - आयुक्त, छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मंडल
6. गारमेंट्स - संचालक, राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन
7. ब्यूटी एंड वेलनेस - मिशन संचालक, छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन
8. सिक्यूरिटी - पुलिस महानिरीक्षक, प्रशिक्षण
9. हॉस्पिटेलिटी - प्रबंध संचालक छत्तीसगढ़ पर्यटन बोर्ड को सर्च-कम-सिलेक्शन कमेटी के अध्यक्ष के रूप में नामांकित किया जाना प्रस्तावित है। फैब्रिकेशन, इलेक्ट्रिकल तथा जिन सेक्टर्स के लिए ट्रेनिंग पार्टनर उपलब्ध नहीं होते हैं उन्हें लाईवलीहुड कॉलेज में विभागीय तौर पर संचालित किया जाना प्रस्तावित है।

3/ख/3 : सेक्टरवार ट्रेनिंग पार्टनर्स के चयन के लिये सर्च-कम-सिलेक्शन कमेटी द्वारा अनुशंसित प्रस्ताव पर समस्त आवश्यक निर्णय लेने हेतु सशक्त समिति का गठन किया जाना प्रस्तावित है। इस समिति में सचिव, जनशक्ति नियोजन विभाग को अध्यक्ष के रूप में एवं राज्य परियोजना लाईवलीहुड कॉलेज सोसायटी के मुख्य कार्यपालन अधिकारी, छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के मिशन संचालक, उद्योग विभाग के विशेष सचिव एवं चिप्स के उपाध्यक्ष को सदस्य के रूप में सम्मिलित किया जाना प्रस्तावित है। ट्रेनिंग पार्टनर्स के चयन व परिवर्तन, उन्हें जिलों का आबंटन व अवधि निर्धारित करने हेतु, तथा कार्यसूची मद 3/7 में प्रस्तुत रूपरेखा अनुरूप समस्त आवश्यक कार्यवाही के लिए सशक्त समिति को अधिकृत करना प्रस्तावित है। सशक्त समिति आवश्यकतानुसार एक स्टीयरिंग समिति व अन्य उप-समिति का गठन कर उन्हें कार्य सौंप सकेगी।

3/ख/4 : ट्रेनिंग पार्टनर्स के चयन के लिये अतिरिक्त मापदंड एवं एम.ओ.यू. की शर्तों का निर्धारण भारतीय प्रबंधन संस्थान, रायपुर के सहयोग से किया जाना प्रस्तावित है।

3/ख/5 : राष्ट्रीय स्तर के ऐसे संस्थानों, प्रतिष्ठानों एवं उद्योगों जिनका स्वयं का सेटअप एक से अधिक राज्यों में हो, जिनका वार्षिक टर्नओवर राशि रु. 25 करोड़ या उससे अधिक हो, तथा जिन्हें कम से कम दो वर्षों का कौशल विकास या संबंधित क्षेत्र में कार्यानुभव हो, केवल उन्हें ट्रेनिंग पार्टनर्स के रूप में आमंत्रित

किया जाना प्रस्तावित है। आवश्यकतानुसार निर्धारित मापदंड के अंतर्गत पात्रता रखने वाले ट्रेनिंग पार्टनर्स को जिलों में लीड सेक्टर/कोर्स विशेष में प्रशिक्षण संपादन के लिये आमंत्रित और अनुशासित करने के लिये सर्च एंड सिलेक्शन कमेटी को अधिकृत किया जाना प्रस्तावित है। ई.ओ.आई. की शर्तों में आवश्यकतानुसार संशोधन प्रस्तावित करने के लिए भी सर्च एंड सिलेक्शन कमेटी को अधिकृत किया जाना प्रस्तावित है।

3/ख/6 : आवासीय व्यवस्था संबंधित जिला परियोजना लाईवलीहुड कॉलेज द्वारा की जायेगी। प्रत्येक लाईवलीहुड कॉलेज के लीड सेक्टर में चयनित ट्रेनिंग पार्टनर्स को सभी छात्रावासियों के लिए बोर्डिंग (भोजन व्यवस्था) की जिम्मेदारी उनकी सहमति के आधार पर दिये जाने का विकल्प रखना प्रस्तावित है, तथा इस हेतु केन्द्र शासन की एस.डी.आई. योजना अंतर्गत समय-समय पर बोर्डिंग एंड लाजिंग हेतु निर्धारित दर से आवासीय व्यवस्था के व्यय को घटाकर भुगतान किया जायेगा। चयनित ट्रेनिंग पार्टनर्स द्वारा बोर्डिंग व्यवस्था की जिम्मेदारी नहीं लिये जाने पर संबंधित जिला परियोजना लाईवलीहुड कॉलेज अपने स्तर पर इसकी व्यवस्था करेंगे।

3/ख/7 : जिलों में लाईवलीहुड कॉलेज में हितग्राहियों को मुख्यमंत्री कौशल विकास योजना एवं एस.डी.आई योजना अंतर्गत एम.ई.एस. पाठ्यक्रमों में प्रशिक्षण दिया जायेगा। प्रशिक्षण, मूल्यांकन, लॉजिंग, बोर्डिंग आदि के लिये केन्द्र शासन की स्किल डेवलपमेंट इनिशिएटिव योजना अंतर्गत समय-समय पर लागू दरों के अनुसार लाईवलीहुड कॉलेज में चयनित ट्रेनिंग पार्टनर्स को संबंधित कार्यों के लिये भुगतान किया जाना प्रस्तावित है।

3/ख/8 : कार्यकारिणी समिति की द्वितीय बैठक की कार्यसूची मद 18 में छत्तीसगढ़ कौशल विकास प्राधिकरण की शासी परिषद् की बैठकों में शामिल होने के लिये गैर-शासकीय नामांकित सदस्यों को उनकी वर्तमान पदीय स्थिति की पात्रता के अनुसार वायुयान से यात्रा करने का किराया एवं बैठक शुल्क (सिटिंग फी) हेतु प्रदान किये गये अनुमोदन, के अनुसार प्रस्तावित सर्च एंड सिलेक्शन कमेटी, सशक्त समिति व सशक्त समिति द्वारा गठित स्टीयरिंग समिति व उप-समितियों में सम्मिलित गैर-शासकीय

सदस्यों को भी यात्रा भत्ता एवं बैठक शुल्क प्रदान किया जाना प्रस्तावित है।

3/ख/9 : लाईवलीहुड कॉलेज परियोजना को राज्य में फ्लैगशिप कार्यक्रम के तहत क्रियान्वित किये जाने का निर्णय लिया गया है। जिलों में संचालित केन्द्र एवं राज्य शासन की विभिन्न विभागीय योजनाओं के अंतर्गत कन्वर्जेन्स के माध्यम से भी लाईवलीहुड कॉलेज में प्रशिक्षण प्रदान किया जाना प्रस्तावित है। तदनुसार जिला कौशल विकास प्राधिकरणों के अध्यक्षों (कलेक्टरों) को लाईवलीहुड कॉलेज में कौशल प्रशिक्षण हेतु वार्षिक ट्रेनिंग कैलेण्डर का निर्धारण किये जाने हेतु निर्देश दिया जाना प्रस्तावित है।

3/ख/10 : लाईवलीहुड कॉलेज में आवश्यकतानुसार योग्य प्रशिक्षकों के द्वारा प्रशिक्षण संपादित किये जाने हेतु प्रशिक्षकों की योग्यता का निर्धारण करने तथा आवश्यकतानुसार स्किल टेस्टिंग एजेंसी के निर्धारण के लिये भी सर्च एंड सिलेक्शन कमेटी को अधिकृत किया जाना प्रस्तावित है।

3/ख/11 : उपरोक्तानुसार नवीन प्रस्ताव 3/ख कार्यकारिणी समिति के विचारार्थ प्रस्तुत है।

अपेक्षित निर्णय

नवीन प्रस्ताव 3/ख कार्यकारिणी समिति द्वारा अनुमोदित किया गया।

कार्यवाही विवरण

कार्यकारिणी समिति, राज्य परियोजना लाईवलीहुड कॉलेज सोसायटी

कार्यसूची मद 3/1- राज्य परियोजना लाईवलीहुड कॉलेज सोसायटी के शासी परिषद् की कार्यकारिणी समिति की बैठक दिनांक 10 जनवरी, 2014 के निर्णयों के कार्यान्वयन का प्रतिवेदन

निर्णय- समिति अवगत हुई।

कार्यसूची मद 3/2-

राज्य परियोजना एवं जिला परियोजना लाईवलीहुड कॉलेज के लिए मानव संसाधन योजना के अनुसार स्वीकृत पदों पर शैक्षणिक योग्यताएं, अनुभव और अन्य अपेक्षाओं तथा चयन प्रक्रिया (रिक्रूटमेंट रूल्स) का निर्धारण

निर्णय-

प्रस्तावित चयन प्रक्रिया एवं तदनुसार प्रारूपित बैठक में प्रस्तुत (संलग्नक 'क') भर्ती नियमों का अनुमोदन किया गया। राज्य परियोजना लाईवलीहुड कॉलेज सोसायटी एवं जिला परियोजना लाईवलीहुड कॉलेज के कार्मिकों के साथ चिप्स में प्रचलित अनुबंध व इंडेमनिटी बॉण्ड के प्रारूपों में यथा योग्य परिवर्तनों सहित निष्पादित करने के प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया।

(कार्यवाही - रा.प.ला.कॉ.सो.)

कार्यसूची मद 3/3- जिलों में अवस्थित लाईवलीहुड कॉलेज का पर्यवेक्षण एवं संचालन एक निगमित निकाय के द्वारा किये जाने का प्रस्ताव

निर्णय-

जिला परियोजना लाईवलीहुड कॉलेज को सोसायटी के रूप में पंजीकृत करने के प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया तथा इस संबंध में समस्त आवश्यक कार्यवाही हेतु मुख्य कार्यपालन अधिकारी को प्राधिकृत किया गया।

(कार्यवाही - रा.प.ला.कॉ.सो.)

कार्यसूची मद 3/4- राज्य परियोजना लाईवलीहुड कॉलेज सोसायटी का वित्तीय वर्ष 2014-15 के लिए वार्षिक वित्तीय विवरण पर चर्चा एवं अनुमोदन।

निर्णय-

प्रस्तावित वार्षिक वित्तीय विवरण शासी परिषद् के अनुमोदन हेतु अनुशंसित किया गया।

(कार्यवाही - रा.प.ला.कॉ.सो.)

कार्यसूची मद 3/5- राज्य परियोजना लाईवलीहुड कॉलेज सोसायटी के निधि के संचालन एवं संधारण का प्रस्ताव।

निर्णय-

राज्य परियोजना लाईवलीहुड कॉलेज सोसायटी एवं जिला परियोजना लाईवलीहुड कॉलेज के खाते का संचालन एवं संधारण के प्रस्ताव का अनुमोदन प्रदान किया गया। मुख्य कार्यपालन अधिकारी, राज्य परियोजना लाईवलीहुड कॉलेज सोसायटी तथा कलेक्टर-सह-अध्यक्ष, जिला परियोजना लाईवलीहुड कॉलेज के वित्तीय अधिकार तथा अग्रदाय खाते की सीमा के निर्धारण के लिये प्रस्तुत प्रस्ताव शासी परिषद् के अनुमोदन हेतु अनुशंसित किया गया।

(कार्यवाही - रा.प.ला.कॉ.सो.)

नवीन कार्यसूची 3/क- राज्य परियोजना लाईवलीहुड कॉलेज सोसायटी के क्रय एवं तकनीकी समिति के गठन का प्रस्ताव

निर्णय-

कार्यसूची मद 3/6 के बैठक पूर्व परिचालित प्रस्ताव को वापस लिया गया। राज्य परियोजना लाईवलीहुड कॉलेज सोसायटी की क्रय समिति तथा तकनीकी समिति के गठन के लिए बैठक में प्रस्तुत संलग्न नवीन प्रस्ताव पर अनुमोदन प्रदान किया गया (संलग्नक 'ख')।

(कार्यवाही - रा.प.ला.कॉ.सो.)

नवीन कार्यसूची 3/ख- लाईवलीहुड कॉलेजों में मांग आधारित गुणवत्तापूर्ण प्रशिक्षण प्रदान करने के लिये रोजगार देने की प्रतिबद्धता एवं प्रमाणित ट्रेक रिकार्ड रखने वाले राष्ट्रीय स्तर के प्रशिक्षण प्रदानकर्ताओं का चयन तथा पाठ्यक्रम अनुसार प्रशिक्षकों की योग्यता का निर्धारण।

निर्णय -

कार्यसूची मद 3/7 के बैठक पूर्व परिचालित प्रस्ताव को वापस लिया गया। बैठक में प्रस्तुत संलग्न नवीन प्रस्ताव पर अनुमोदन प्रदान किया गया (संलग्नक 'ग')।

(कार्यवाही - रा.प.ला.कॉ.सो.)